रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 870] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 2016/अग्रहायण 29, 1938
No. 870] NEW DELHI, TUESDAY DECEMBER 20, 2016/AGRAHAYANA 29, 1938

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(युवा कार्यक्रम विभाग)

(राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान की कार्य परिषद्)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि.1158 (अ).—कार्य परिषद्, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम, 2012 (2012 का 35) की धारा 35 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, 2013 के प्रथम परिनियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1)इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का प्रथम परिनियम (द्वितीय संशोधन) परिनियम,2016 है ।

(2) यह परिनियम कुलाध्यक्ष की अनुमति की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2.अनुसूची II में संशोधन.— मूल परिनियम अनुसूची-II के अनुच्छेद सं. 5 में "के अतिरिक्त ग्रेड वेतन" शब्द के पश्चात आंकड़ा रू. 8,700 के स्थान पर आंकड़ा रु. 10,000 अंतःस्थापित किया जाएगा।

3. मूल परिनियम में नए परिनियमों का संयोजन.— राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान परिनियम, 2016 के मूल परिनियम 34 के पश्चात निम्न परिनियमों का संयोजन किया जाएगा।

35 अ. अध्ययन बोर्ड शासी परिनियम

1. प्रत्येक विभाग में एक अध्ययन बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

क) विभागाध्यक्ष, जो अध्यक्ष एवं संयोजक होगा।

ख) संबंधित स्कूल का संकायाध्यक्ष या उसका नामिती।

ग) विभाग/केन्द्र के सभी प्रोफेसर (पदेन सदस्य)।

घ) वरिष्ठता के चक्रण द्वारा विभाग का एक सह-आचार्य।

ङ) वरिष्ठता के चक्रण द्वारा विभाग का एक सहायक प्रोफेसर।

च) दो अध्यापक, संस्थान के संकायवर्ग सदस्यों में से सम्बद्ध एवं सजातीय विषयों के, निदेशक द्वारा नामित।

छ) दो विषय विशेषज्ञ, संस्थान में सेवा में नहीं हो, निदेशक द्वारा नामित किए जाएंगे।

2. पदेन सदस्यों से इतर सदस्यों, अर्थात विभागाध्यक्ष और विभाग के प्रोफेसरों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

3. बोर्ड अध्यक्ष:

निदेशक, अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष को नामित करेगा।

4. यदि संस्थान के विभाग/केन्द्र का कोई अध्यापक संबंधित विभाग/केन्द्र का अध्यापक नहीं रहता है तो उसका सदस्य होना समाप्त हो जाएगा।

5. विद्या परिषद के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन, अध्ययन बोर्ड के कार्य हैं:

क) विभिन्न उपाधि पाठ्यक्रमों में अनुसंधान हेतु विषयों और अनुसंधान कार्यक्रमों की अन्य आवश्यकताओं का अनुमोदन।

ख) विद्या परिषद से निम्नलिखित की अनुशंसा:

i. अध्ययन पाठ्यक्रमों और परीक्षकों की नियुक्ति, परंतु अनुसंधान उपाधि को छोड़कर।

ii. अनुसंधान हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति।

iii. अध्यापन और अनुसंधान के मानदंड में सुधार लाने हेतु उपाय।

ग) सुनिश्चित करना कि विभागों में विभिन्न अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यचर्याओं की आवधिक समीक्षा की जाए और नियमित रूप से संशोधित एवं अद्यतन किया जाए।

घ) विभिन्न पाठ्यक्रमों और अध्ययन कार्यक्रमों के लिए पाठ्यपुस्तकें निर्धारित करना, और संकायवर्ग एवं विद्या परिषद से अनुशंसा करना।

ङ) अध्ययन बोर्ड के पास भेजे गए मामलों पर विद्या परिषद को सलाह देना।

च) ऐसे अन्य कार्य करना जो उसे विद्या परिषद, या निदेशक द्वारा समनुदिष्ट किए जाएं।

6. विभाग/केन्द्र का अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड की बैठक की संयोजन करेगा।

7. यदि किसी बैठक में विभाग/केन्द्र का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो वहां उपस्थित सबसे वरिष्ठ सदस्य बैठक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

8. सामान्यतया अध्ययन बोर्ड एक वर्ष में दो बार और उन अवसरों पर, जैसा कि निदेशक द्वारा निदेश दिया जाए, बैठक करेगा।

9. सामान्यता अध्ययन बोर्ड की बैठक की सूचना, विशेष बैठकों को छोड़कर, बैठक हेतु निर्धारित दिन से न्यूनतम 10 दिन पहले निर्गमित की जाएगी। बोर्ड की बैठकों की संचालन पद्धति विद्या परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी।

10. अध्ययन बोर्ड की बैठकों हेतु न्यनूतम 50% सदस्यों से गणपूर्ति होगी जिसमें न्यूनतम एक बाह्य विशेषज्ञ सम्मिलित है।

11. अध्यक्ष द्वारा अपनी पहल से या अध्ययन बोर्ड के न्यनूतम 50% सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

12. सदस्यों के अनुरोध पर विशेष बैठक बुलाए जाने की स्थिति में, कार्यसूची में अधिसूचित से इतर किसी अन्य मद पर चर्चा नहीं की जाएगी और उन सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी जिनके अनुरोध पर विशेष बैठक बुलाई गई थी।

IndiaCode

13. यदि निदेशक की राय में, किसी मद पर विचारार्थ अध्ययन बोर्ड की बैठक संयोजित करना आवश्यक या समीचीन नहीं है और यदि उसके विचार से कि बोर्ड के सदस्यों के बीच परिपत्रण द्वारा किसी मामले का निपटान किया जा सकता है तो वह इस आशय के आवश्यक अनुदेश जारी कर सकता है।

14. संयुक्त बैठक:

जब कभी यह आवश्यक समझा जाए, निदेशक दो या दो से अधिक अध्ययन बोर्डों की संयुक्त बैठक का संयोजन करने हेतु सक्षम है और ऐसी समस्त बैठकों में निदेशक या उसका नामिती अध्यक्षता करेगा।

36. अनुसंधान अध्ययन बोर्ड

1. बोर्ड की सदस्यता:

1.1 प्रत्येक स्कूल में एक अनुसंधान अध्ययन बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(क) स्कूल का संकायाध्यक्ष (संयोजक और अध्यक्ष)।

(ख) स्कूल में केन्द्राध्यक्ष/विभागध्यक्ष।

(ग) वरिष्ठता के क्रम में चक्रण द्वारा स्कूल बोर्ड के सदस्यों में एक प्रोफेसर, एक सह-आचार्य और एक सहायक प्रोफेसर।

1.2 कार्यसूची पर किसी मद विशेष से संबंधित प्रोफेसर को, जो बोर्ड का सदस्य नहीं है, बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा और यदि वहां किसी विभाग/केन्द्र में कार्यसूची की किसी मद विशेष से संबंधित दो या दो से अधिक प्रोफेसर हैं, जो सदस्य नहीं हैं, तो उन्हें बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा; बशर्ते कि इस प्रकार आमंत्रित किसी भी व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

2. प्रवेश बोर्ड के रूप में बोर्ड की शक्तियां:

अनुसंधान अध्ययन बोर्ड अनुसंधान पाठ्यक्रम, जिनके परिणामस्वरूप विद्या वाचस्पति उपाधि प्राप्त होती है, में प्रवेश हेतु आवेदनों पर विचार करेगा और तत्संबंधी प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का चयन करेगा।

3. बोर्ड के कर्तव्य:

बोर्ड के कर्तव्य हैं:

(क) संबंधित विभाग/केन्द्र की अनुशंसा पर विद्या वाचस्पति पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए पर्यवेक्षक या सलाहकार नियुक्त करना।

(ख) अनुसंधान उपाधियों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान कार्य हेतु परीक्षकों की अनुशंसा करना।

(ग) अनुसंधान उपाधियों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान कार्य हेतु परीक्षकों की रिपोर्टों पर करना और उपयुक्त अनुशंसा करना।

(घ) अध्ययन अवकाश हेतु स्कूल के अध्यापकों के आवेदनों पर विचार करना।

(ङ) अनुसंधान की योजनाओं या परियोजनाओं या उन्नत अध्ययनों के संबंध में, जो बोर्ड द्वारा उसके विचारार्थ भेजे जाएं, संबंधित अध्ययन बोर्ड को सलाह देना।

(च) उन कर्तव्यों का निर्वाह करना जो उसे विद्या परिषद या अध्ययन बोर्ड द्वारा समनुदिष्ट किए जाएं।

4. बोर्ड की कार्यवाही का अनुमोदन:

4.1 अनुसंधान अध्ययन बोर्ड की कार्यवाही विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ निदेशक के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

4.2 बोर्ड अपनी कार्यवाही की ऐसी मदों को अपनी टिप्पणियों के साथ विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है जिन्हें बोर्ड समीचीन और आवश्यक समझे।

5. कार्यकाल:

खंड 1.1(ग) के अंतर्गत का कार्यकाल दो वर्ष है।

6. गणपूर्ति:

बोर्ड के पाँच सदस्य गणपूर्ति करेंगे।

7. बैठक की संचालन पद्धति:

बैठक की संचालन पद्धति विद्या परिषद द्वारा यथा निर्धारित के अनुसार होगी।

7.1 कार्यवृत्त: अध्ययन बोर्ड का प्रत्येक पारित संकल्प बैठक में अभिलिखित किया जाएगा और अध्यक्ष द्वारा स्वयं बैठक में पढ़ा जाएगा। सामान्यतया बैठक का अध्यक्ष बैठक की तिथि से दस दिन के अंदर बैठक में यथा अनुमोदित कार्यवृत्त की एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजेगा।

7.2 निदेशक, तात्कालिक मामलों में, बोर्ड के सदस्यों के बीच किसी प्रस्ताव के परिपत्रण द्वारा अध्ययन बोर्ड की राय प्राप्त करेगा। ऐसी राय, तत्संबंधी की गई कार्रवाई सहित, सभी सदस्यों को पुन: सूचित की जाएगी।

[सं. फा. 15-29/2016/ आरजीएनआईवाईडी]

गौरव अग्रवाल, निदेशक

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Youth Affairs)

(EXECUTIVE COUNCIL OF RAJIV GANDHI NATIONAL INSTITUTE OF YOUTH DEVELOPMENT)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2016

G.S.R.1158 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) read with sub-section (3) of the section 32 of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Act, 2012 (35 of 2012), and with the prior approval of the Visitor, the Executive Council hereby makes the following amendments to the First Statutes of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, 2013, namely:-

1.Short title and Commencement.—(1) These Statutes may be called the First Statutes of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (Second Amendment) Statutes, 2016.

(2) It shall come into force with effect from the date of assent of the Visitor.

2. Amendment to Schedule II.—The figures, "Rs.8700", shall be substituted for the figures "10,000" appearing after the words, 'plus grade pay of', in paragraph no.5 of Schedule –II of the Principal Statute.

3. Addition of new Statutes to the Principal Statutes.—The following Statutes shall be added after Principal Statute 34 of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development Statutes, 2016.

35 A. STATUTE GOVERNING THE BOARDS OF STUDIES

1. Each Department shall have a Board of Studies comprising the following members:

a. Head of the Department, who shall be the Chairman & Convenor

b. Dean of the School concerned or his/her nominee

c. All the Professors of the Department / Centre (ex-officio members)

d. One Associate Professor of the Department by rotation in order of seniority

e. One Assistant Professor of the Department by rotation in order of seniority

f. Two teachers, from amongst the faculty members of the Institute belonging to the allied and cognate disciplines, nominated by the Director.

g. Two subject experts, not in the service of the Institute, to be nominated by the Director.

2. The term of office of the members, other than the ex-officio members i.e. the Head of the Department and the Professors of the department, shall be three years.

3. Chairman of the Board:

The Chairman of the Board of Studies shall be nominated by the Director

4. A Teacher of the Institute Department/Centre shall cease to be a member, if he ceases to be a teacher of the concerned Department/Centre.

5. Subject to the overall control and supervision of the Academic Council, the functions of the Board of Studies shall be:

a) To approve subject for research for various degree courses and the other requirements of research programmes.

b) To recommend to the Academic Council:

i. courses of studies and appointment of examiners, but excluding research degree

ii. appointment of supervisors for research.

iii. measures for improvement of the standard of teaching and research.

c) To ensure that the curricula and syllabi of various courses offered by the teachers in the Departments are periodically reviewed and continuously revised and updated.

d) To prescribe and recommend to the Faculty and the Academic Council the text books for the several courses and programmes of studies.

e) The Board of Studies advice the Academic Council on such matters as may be referred to it

f) To perform such other functions as may be assigned to it by the Academic Council, or the Director.

6. The Head of the Department/Centre shall convene the meetings of Board of Studies.

7. In case Head of the Department/Centre is not present at any meeting, the senior-most member present shall act as the Chairman for the meeting.

8. Board of Studies shall ordinarily meet at least twice a year and on such occasions as may be directed by the Director.

9. Notice for a meeting of the Board of Studies, other than a special meeting, shall ordinarily be issued at least 10 days before the day fixed for the meeting. The procedure for conduct of the meetings of the Board shall be as laid down by the Academic Council.

10. The quorum for the meetings of the Board of Studies shall be 50% of the members of the Board of Studies which shall include at least one outside expert.

11. Special meetings may be called by the Chairman at his/her own initiative or on a written request by at least 50% of the members of the Board of Studies.

12. In case of special meetings called at the request of the members, no item other than those notified in the Agenda shall be discussed and that the presence of all members, at whose request the Special meeting was called, will be essential.

13. If in the opinion of the Director, it is not necessary or expedient to convene a meeting of the Board of Studies to consider any item and if he considers that a matter could be disposed off by circulation among the members of Board of Studies he may issue necessary instructions to that effect

14. Joint Meetings:

Whenever it is deemed necessary it shall be competent for the Director to convene a Joint Meeting of two or more Boards of Studies and at all such meetings the Director or his/her nominee shall preside.

36. BOARD OF RESEARCH STUDIES

1. Membership of the Board:

1.1 Each School of Studies shall have a Board of Research Studies consisting of the following members:

(a) Dean of the School (Convenor and Chairman)

(b) Heads of Centres and Departments in the School:

(c) One Professor, one Associate Professor and one Assistant Professor from amongst the members of the Board of the School by rotation in order of seniority.

IndiaCode

1.2 The Professor concerned with any particular item on the agenda, who is not a member of the Board, shall be invited to attend the meeting and if there are two or more such Professors in a Department/Centre concerned with any particular item of agenda who are not members, they shall all be invited to attend the meeting: Provided that no person so invited shall have the right to vote

2. Power of the Board as Admission Board:

The Board of Research Studies shall consider applications for admission to the course of research leading to the Ph.D degree and select candidates for admission thereto.

3. Duties of the Board:

The duties of the Board of Research Studies shall be :

(a) to appoint Supervisors or Advisors for students enrolled for the Ph.D. Course on the recommendation of the Department/Centre concerned;

(b) to recommend examiners for the research work submitted by candidates for research degrees;

(c) to consider reports of the examiners appointed for the research work submitted by candidates for research degrees and make suitable recommendations;

(d) to consider applications from the teachers of the School for study leave;

(e) to advise the concerned Board of Studies regarding any schemes or projects of research or of advanced studies which the Board may refer to it for its consideration;

(f) to perform such duties as may be assigned to it by the Academic Council or the Board of Studies .

4. Approval of the Proceedings of the Board:

4.1 The Proceedings of the Board of Research Studies shall be placed before the Director for consideration and approval.

4.2 The Board may cause such items of its proceedings to be placed before the Academic Council as the Board may deem expedient and necessary with its remarks.

5. Term of Office:

The term of the members under Clause 1.1(c) shall be two years.

6. Quorum :

Five members of the Board shall form the quorum.

7. Procedure for conduct of the Meetings:

The procedure for conduct of the meetings of the Board shall be as laid down by the Academic Council.

7.1. Minutes:

Every resolution of the Board of Studies passed shall be recorded at the meeting and read out by the Chairman at the meeting itself. The Chairman of the meeting shall normally send to the Registrar a copy of the minutes as approved at the meeting within ten days after the date of the meeting.

7.2. The Director, may in urgent cases, obtain the opinion of the Board of Studies by circulation of any proposal among the members of the Board. Such opinion, together with the action taken thereon shall be re-communicated to all the members

[No. F. 15-29/2016-RGNIYD]

GAURAV AGARWAL, Director

Nishok Kumar Paria

Digitally signed by Nishok Kumar Paria
Date: 2016.12.22 17:52:36 +05'30'

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.